झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2019–20 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को रूपये 185.00 प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस मद हेतु कुल रूपये 52.00 करोड़ राशि की स्वीकृति के संबंध में।

धान उत्पादक किसानों को उनके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने तथा राज्य को धान उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011–12 से धान अधिप्राप्ति योजना प्रारंभ की गई है।

2. राज्य के किसानों से खरीफ विपणन मौसम 2019–20 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे धान की अधिप्राप्ति करने हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर्स, भारतीय खाद्य निगम तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर्स अधिप्राप्ति एजेन्सी तथा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड नोड्ल अभिकरण नामित किया गया है।

3. राज्य के किसानों को उनके उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने, अधिप्राप्ति में उनकी पूर्ण सहभागिता के लिए उन्हें प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिए खरीफ विपणन मौसम 2019–20 के अन्तर्गत अधिप्राप्ति कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,815 रूपये प्रति क्विंटल साधारण एवं 1,835 रूपये प्रति क्विंटल ग्रेड "ए" के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 185.00 रूपये की दर से बोनस भुगतान किया जायेगा।

4. राईस मिलरों/अधिप्राप्ति केन्द्रों को परिवहन, हथालन आदि आकस्मिक व्यय, योजना के प्रचार–प्रसार में व्यय, राईस मिलरों को मिलिंग, इन्सेन्टिव आदि आकस्मिक व्यय, अधिप्राप्ति केन्द्रों पर अधिष्ठापित किये जाने वाले उपकरणों, अस्थायी कम्प्यूटर ऑपरेटरों तथा गत वर्ष में किसानों के बोनस मद में व्यय का बकाया राशि का भुगतान इस मद से किया जायेगा।

5. राशि की निकासी बजटीय उपबंध के तहत मुख्यशीर्ष–3456–सिविल पूर्ति–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/102–सिविल पूर्ति योजना/ 789–अनुसूचित जातियों की विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–52–धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान–06–अनुदान–52– सब्सिडी (18S345600-796/102/789-520652) से की जायेगी। इस मद में 52 करोड़ रूपये उपबंधित है।

6. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची एवं नियंत्री पदाधिकारी, सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे। इस राशि को एकमुश्त अग्रिम निकासी कर नोडल अभिकरण झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा।

D:\C.O. Food\Vikash Kumar-2019-20\Gaurav jee\Sankalap\Bonus\Bonus - 2019-20 for Sanklap.docx - 1

7. बोनस का लेखा जोखा/उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि की पूर्ण जिम्मेदारी नोडल अभिकरण झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की होगी। नोडल अभिकरण द्वारा खरीफ विपणन मौसम के अन्त में लेखा का संधारण किया जायेगा।

8.. उक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 25.09.2019 की बैठक की मद संख्या–20 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस सकंल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

ह0/–

(अमिताभ कौशल),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–02 अधि० बोनस–04/2019 /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने तथा इसकी एक सौ अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–02 अधि० बोनस–04/2019– /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–02 अधि० बोनस–04/2019– /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के आप्त सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची/सभी प्रमण्डीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी विशिष्ट पदाधिकारी, प्रभारी अनुभाजन/सभी अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति)/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–02 अधि० बोनस–04/2019– /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि– सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची/ निबंधक सहयोग समितियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–02 अधि० बोनस–04/2019– 2987 /राँची, दिनांक – 04/10/19

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, समाहरणालय भवन, चतुर्थ तल्ला, कचहरी रोड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/10/19

सरकार के सचिव।

D:\CO. Food\Vikash Kumar-2019-20\Gaurav jee\Sankalap\Bouns\Bouns - 2019-20 for Sanklap.docx - 2